न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर

आवेदन 103 /2008

1. बिडदाराम पुत्र चतराराम जाति कुम्हार निवासी नयाबास तन मण्ढा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर । (फौत)
   1/1 लाडादेवी पत्नि बिडदाराम उम्र 68 साल
   1/2 लालाराम पुत्र स्व. बिडदाराम उम्र 52 साल
   1/3 श्यामनारायण पुत्र बिडदाराम उम्र 48 साल
   1/4 पेमाराम पुत्र स्व. बिडदाराम
   1/5 भंवरीदेवी पुत्री स्व. बिडदाराम उम्र 54 साल पत्नि रामेश्वर जाति कुम्हार निवासी मीण्डा तहसील नावां जिला नागौर ।
   1/6 गंगादेवी पुत्री स्व. बिडदाराम उम्र 46 साल पत्नि हीरालाल जाति कुम्हार निवासी गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
   1/7 गीतादेवी पुत्री स्व. बिडदाराम उम्र 40 साल पत्नि कैलाश जाति कुम्हार निवासी कांटिया तहसील नांवा जिला नागौर ।
   1/8 सोनीदेवी पुत्री बिडदाराम उम्र 36 साल पत्नि गोविन्दराम जाति कुम्हार निवासी कांटिया तहसील नावां जिला नागौर ।

—प्रार्थीगण/आवेदकगण

बनाम

1. नाथू पुत्र श्री जैसा कौम जाट निवासी नयाबास तन मण्ढा(सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
2. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान)।
3. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान)

—अप्रार्थी/अनावेदकगण

उपस्थितः—प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही ।

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिंनाक :—01.08.2016

आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार से है :—

1. यह है कि कृषि भूमि ख. नं. 147 रकबा 1.38 हैक्टर, ख.नं. 148 रकबा 0.05 हैक्टर, ख.नं. 149 रकबा 0.02 हैक्टर, ख.नं. 150 रकबा 2.40 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.85 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 692/1 मी. नम्बर हैं जो ग्राम मण्ढा (सुरेरा) पटवार हल्का मण्ढा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों पर प्राथीगण का कब्जा काश्त लगभग 50 वर्षो से चला हा रहा है तथा मौके पर आवेदक प्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है किसी अन्य ने उक्त

Scanned by CamScanner

भूमियों पर कभी भी काश्त नहीं की है तथा ना ही अनावेदक संख्या 1 ने उक्त भूमियों पर कभी काश्त की । उक्त भूमियों पर आवेदक गण लगातार काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं जबकि उक्त भूमियों पर अनावेदक संख्या 1 द्वारा काबिज नहीं होने पर भी रेवेन्यू अधिकारियों से साज कर अपने नाम से उक्त भूमियों को अलाटमेंट करवाकर दिनांक 18.06.1963 को अपने नाम करवा लिया । इस कारण उक्त अलाटमेंट गलत हुआ है जिसको निरस्त करवाया जाना अति आवश्यक है । उक्त अलाटमेंट राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना कब्जे की जांच किए ही अपनी मन मर्जी से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था । उक्त भूमि से प्रार्थी आवेदकों को बेदखल करने बाबत न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई जिसके विरूद्व प्रार्थी ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सीकर के यहां अपील संख्या 170/70 पेश किए जाने पर माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 28.06.1971 को अपने निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ के निर्णय दिनांक 21.04.1970 को अपास्त कर दिया । तथा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सीकर ने अपने निर्णय में विवादित भूमि पर आवेदक/प्रार्थी का कब्जा माना है । इस प्रकार से भी आवेदक प्रार्थी का कमब्जा साबित है । आवेदक उक्त वर्णित भूमियों पर 12 वर्षो से अधिक समय से काबिज होने के कारण प्रार्थीगणों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं अतः अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगणों के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने बाबत पाबन्द किया जाना लाजिम है ।

2. उक्त भूमि पर आज मौके पर प्रार्थीयागण संख्या 1/1 से 1/8 काबिज काश्तकार हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 कभी भी वादीगणों के कब्जा काश्त में दखल कर सकता है अगर अप्रार्थी संख्या 1 अनुचित, अनाधिकृत, अवैध कार्यवाही में प्रार्थियों को मौके से बेदखल कर देंगे तो आवेदकों के अधिकारों का हनन होगा। आवेदकों के विधिक अधिकारों एवं आर्थिक एवं साम्पतिक अधिकारों की सुरक्षार्थ यह आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का लाया जाना लाजिम आया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगणों का सुदृढ है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगणों के पक्ष में होने के कारण अपूर्तनीय क्षति भी आवेदकों को ही हो रही है, यदि अनाावेदक आवेदक को उक्त भूमियों से गलत खातेदारी अंकन के आधार पर बेदखल करने, दखलंदाजी करने, या अन्य किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न करने में सफल हो गये तो आवेदकों को इस कदर असीम क्षति होगी जिसकी तलाफी किया जाना किसी प्रकार भी संम्भव नहीं है, इसलिए अनावेदकगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

1 आवेदन दर्ज रजि0 किया गया तथा अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी सं. 1 से 3 को विधिवत सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

Scanned by CamScanner

2 हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/ आवेदक की एक पक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा दोनो बिन्दुओं पर मनन करने के पश्चात कृषि भूमि ख. नं. 147 रकबा 1.38 हैक्टर, ख.नं. 148 रकबा 0.05 हैक्टर, ख.नं. 149 रकबा 0.02 हैक्टर, ख.नं. 150 रकबा 2.40 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.85 हैक्टर ग्राम मंढा(सुरेरा) पटवार हल्का मंढा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों पर प्रार्थीगणों का कब्जा काश्त है । **अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित आराजियात** कृषि भूमि ख. नं. 147 रकबा 1.38 हैक्टर, ख.नं. 148 रकबा 0.05 हैक्टर, ख.नं. 149 रकबा 0.02 हैक्टर, ख.नं. 150 रकबा 2.40 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.85 हैक्टर ग्राम मंढा(सुरेरा) पटवार हल्का मंढा **तहसील दांतारामगढ जिला सीकर आवेदन में सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थीगणों/आवेदकों के पक्ष में बनती है अतः अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से तादौराने दावा पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रार्थीगण का आवेदन अं.धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थगन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/अनावेदकगण को तादौराने दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात** कृषि भूमि ख. नं. 147 रकबा 1.38 हैक्टर, ख.नं. 148 रकबा 0.05 हैक्टर, ख.नं. 149 रकबा 0.02 हैक्टर, ख.नं. 150 रकबा 2.40 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 3.85 हैक्टर ग्राम मंढा(सुरेरा) पटवार हल्का मंढा **तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील कार्यवाही मूल दावा के संलग्न हो।**

यह आवेदन आज दिनांक 01.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड, अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner